


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर  
// आदेश //

क्रमांक C/2372/  
दो-15-30/82 भाग-दो

जबलपुर, दिनांक 13/05/2022

श्री अनुराग गुप्ता, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (निःशक्त कर्मचारी) को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक सी 2-1/1/3/2012 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2012 एवं आदेश क्रमांक 599/443-3-1-2013 भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013 एवं मध्यप्रदेश समाजिक एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 21/03/2018 के अंतर्गत वाहन/परिवहन भत्ता रूपये 350/- (रूपये तीन सौ पचास मात्र) प्रतिमाह की दर से दिनांक 22.07.2021 से स्वीकृत किया जाता है।

  
(कृष्णमूर्ति मिश्र)  
रजिस्ट्रार जनरल  
Pm


पृष्ठांकन क्रमांक C/2373/  
दो-15-30/82 भाग-दो

जबलपुर, दिनांक 13/05/2022

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु,
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जे), स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/लेखा/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री अनुराग गुप्ता, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)  
Pm